संख्या-62/2016/1809/52-1-16-1(128)/13-टी०सी०

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दि0 20.09.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 75वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-मुजफ्फरनगर** में स्वीकृत विक खण्ड-सदर, शाहपुर, बघारा, बुढाना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निर्माण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण था यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण के लिए केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-जी०आई० 38/14/52-1-2013-01(128)/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2014 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त परियोजनाओं के लिए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 09.06.2016 से उक्त परियोजनाओं के लिये कुल अनुमोदित केन्द्रांश की रू0 114.11 □□ □□ सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 57,05,000/- (रू0 सत्तावन □□ □□ हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 19,05,000/- (रू0 उन्नीस □□ □□ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 76,10,000/- (रू0 छिहत्तर □□ □□ हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू□ 1981.91 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल □□□□ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के □□□ स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□ मुजफ्फर □□□	□□□□	□□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□□+□□□)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		□□□ प्रस्तावित □□□□□ (□□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				विकास खण्ड- □□□						
1	मुजफ्फर □□□	ग्राम बमनहेड, मखियाली, □□□□□, बधेडी में प्रा0स्वास्थ्य उपकेन्द्र क□ पुनर्निर्माण	04	10.00	30.00	10.00	20.00	15.00	5.00	20.00
2	,,	जिला होम □□□□ चिकित्सालय □□□0कक्ष का निर्माण	01	5.36	4.02	1.34	2.68	2.01	0.67	2.68
				विकास खण्ड- शाह□□□						
3	,,	ग्राम शाहपुर □□0यूनानी चिकित्सालय (04 शैय्या) का निर्माण	01	20.15	15.11	5.04	10.07	7.55	2.53	10.08
4	,,	ग्राम पुरा □□0आयुर्वेदिक चिकित्सालय (04 शैय्या) का निर्माण	01	20.15	15.11	5.04	10.07	7.55	2.53	10.08
				विकास खण्ड-बघा□□						
5	,,	ग्राम भागरा □□□ □□□□ में प्रा0 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निर्माण	02	10.00	15.00	5.00	10.00	7.50	2.50	10.00
				विकास खण्ड-बुढान□						
6	,,	ग्रा0 हुसैनपुरा □□0आयुर्वेदिक चिकित्सलाय (04 शैय्या) का निर्माण	01	20.15	15.11	5.04	10.07	7.56	2.53	10.09
				विकास खण्ड-चर□□□						
7	,,	□□□□□ □□□ रोनहाना में होम्योपै□□□ चिकित्सालय □□ निर्माण	02	13.17	19.76	6.58	13.17	9.88	3.29	13.17
		□□□	12	98.98	114.11	38.04	76.06	57.05	19.05	76.10

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का अनु□□□□ सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ के माध्यम □□ कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□ (C&DS)** □□ निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रश्नगत विकास खण्ड-स□□, □□□□□, □□□□, बुढाना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निमाण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा □□□□/आयुर्वेदिक □□कित्सालय का निर्माण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं क्षेत्रफल के अनुसार गुणवत्ता के□ साथ पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था □□ □□□□□, के मध्य □□ □ □□ □□ □□0 □ 0□0□ (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) भी हस्तान्तरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिश-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आ कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- □□□□त धनराशि के उपयोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की □□-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध □□□□ जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य □□□□□ शासन को उपलब्ध क□□ये जायेंगे।

9- विकास खण्ड-□□□, □□□□□, □□□□, बुढाना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निमाण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष □□ निर्माण तथा यू□□□/आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उनके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 □□□ □□□ □□□□□ ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त् धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली नियमानुसार ि□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- विकास खण्ड-सद□, □□□□□, □□□□, बुढाना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निमाण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष □□ निर्माण तथा यू□□□/आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- □□□□□□ कार्य वे□□□□□में अवमुक्त □□□□□□ □□□□□□□□□□कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ में निहित व्यवस्था के□ □□□□□ थर्ड पार्टी □□ निरीक्षण भ□□ सुनिश्चित □□□□□ □□□□ जिलाधिकारी एवं□कार्यदायी संस्था □□ संयुक्त दायित्व ह□□□□ यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□, अल्पसंख्यककल्याण □□ □□□□□ किया □□□□□

13- उक्त के फल स्व रूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्□ -48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथ कल्याण पर पूंजीगत परि□ □-02-समाज कल्या□-800-अन्य व्यय□-01 केन्द्रीय

□ □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0106-अल्पसंख्यक बाहुल जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (□□0 75-□□0 25)-24-वृहत् निर्माण कार्य के □□□□□□□□ □□□□□

14- यह आदेश वित्त (य□व्य-3□ □)□□□□□ 1-के कार्यालयज्ञाप सं-ख्या-1-0□□/2016/1-/746□□ में निहित प्राविधानों 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016-□□ □□□□□ जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिं□)
□□□□□

संख्या _____ (1)/□□□□-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- □□□□□□, □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचि◌, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश □□□□ □□ इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** □□ □□ □□□□ □□ प्रेषित कि प्रश्नगत विकास खण्ड-सद□, □□□□□, □□□□□, □□□ना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पुनर्निमाण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले विकास खण्ड-□□□, □□□□□, □□□□□, बुढाना तथा चरथावल में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र क□ पुनर्निमाण, जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा □□□□/आयुर्वेदिक चिकित्सालय □□ गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

9- □□□धिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, □□□□□□□, □□□□ □□ □□

http://sirsaidesh.up.nic.in

आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृ□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ कष्ट करें।

10- □□□□□□□, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, □0प्र0 □□ □□ सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11- वित्त-ई-11 □

12- वित्त (□ □-व्ययन□) □□□□-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- □□□ □□□, □□0□त्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

14- □□□ □□□, □□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in